

राजस्थान सरकार

चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1)विभाग

क्रमांक:-प-1(93)(3)/डी.एम.ई./ /2016/


जयपुर,दिनांक:- 23/12/16

आदेश

प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, मेडिकल कॉलेज जयपुर के प्रस्तावानुसार चयन समिति की सिफारिश पर अधिकतम आयु सीमा में शिथिलता प्रदान करते हुए निचे सारणी में अंकित चिकित्सक को सहायक आचार्य के पद पर आदेश जारी होने की तिथि से 03 माह अथवा नियमित रूप से पद भरे जाने या अग्रिम आदेश तक, जो भो पहले हो तक के लिए, **पूर्णतया आवश्यक / अस्थाई आधार पर नियत मानदेय पर मेडिकल कॉलेज जयपुर में नियुक्त** किया जाता है :-


क्र.सं.	चिकित्सक का नाम	पद	विशिष्टता	जन्म तिथि
01	डॉ.घनश्याम अग्रवाल	सहायक आचार्य	न्यूरोसर्जरी	-

उपरोक्त नियुक्ति इनके द्वारा चरित्र सत्यापन एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के अध्याधीन होगी । इन्हें आदेश जारी होने की तिथि से 10 दिवस में अपने पदस्थापन स्थान पर उपस्थिति प्रस्तुत कर देनी होगी । यह नियुक्ति राजस्थान मेडिकल सर्विस (कालेजियेट ब्रांच ) रूल्स,1962 के प्रावधानों एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशों / निर्देशों के अध्याधीन होगी ।

  
22/12/16  
( भगवत सिंह )  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1-विशिष्ट सहायक,माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग ।
- 2-निजी सचिव,प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग ।
- 3-निजी सहायक सचिव,शासन संयुक्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग ।
- 4-शासन संयुक्त सचिव,वित्त (व्यय-1) एवं कार्मिक (क-2),विभाग ।
- 5-प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक,मेडिकल कॉलेज जयपुर को उनके पत्रांक 32263/एफ/एमसी/ईजी/16/दिनांक 16/11/16 के सन्दर्भ में ।
- 6-रक्षित पत्रावली ।

  
22/12/16  
शासन उप सचिव